समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2016 पुनर्विलोकन

मु0 रम्मो पुत्री भैरू जाति कीर निवासी सामस्या तहसील श्योपुरकलां जिला मुरैना

..........आवेदक /निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. निरंजराव पुत्र श्री लक्ष्मणराव ब्रहमण निवासी श्योपुरकलां जिला मुरैना
2. म0प्र0 शासन ।

..........अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 06/पांच/1996 मे पारित आदेश दिनांक 19.1.2016 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

1. यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क 1 नि निरंजन राव द्वारा तहसीलदार श्योपुरकलां के समक्ष संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदन पेश कर ग्राम सामरसा की भूमि सर्वे नं. 137/5 रकवा 5 बीघा 5 बिस्वा पर नामातरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस पर से प्रकरण दर्ज किया जाकार वगैर इश्तहार जारी किये वगैर आवेदक को सुने मनमाने पूर्ण तरीके से अनावेदक के पक्ष में 17.1.92 से नांमातरण कर दिया गया । इस विवादित नामांतरण आदेश को अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार के आदेश को स्वयम निगरानी मे लेकर दिनांक 5.6.95 से तहसीलदार का विवादित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया जिस अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क 1 द्वारा अपर आयक्त चंबल संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो भी निरस्त की गई दोनो अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर एंव अपर आयुक्त चबंल संभाग ग्वालियर के आदेश आवेदक के पक्ष मे हुये उसके वाद अनावेदक क 1 ने राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष निगरानी 06/पांच /1996 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी में आवेदक पक्ष को वगैर सुने व सूचना दिये वगैर एक पक्षिय रूप से सुनवाई की जाकर अनावेदक क 1 के पक्ष में विवादित आदेश दिनांक 19.1.2016 पारित करते हुये निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –2220–एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
15.5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । अवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 6–पांच/96 में पारित आदेश दिनांक 19.1.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2220–एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 6–पांच/96 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.1.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 2220–एक/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य